

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ०प्र०।

परिपत्रांक २५/कृषि निवेश/बी-250 (टी सी-1)दिनांक::लखनऊ:: नवम्बर 2017

1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,

सहकारिता, उ०प्र०।

2-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,

जिला सहकारी बैंक लि०।

3-समस्त जिला प्रबन्धक

पी०सी०एफ०, उ०प्र०।

**विषय- कृमको डी०ए०पी० उर्वरक की दिनांक 15.09.2017 से आपूर्ति एवं फुटकर बिक्री दरो के सम्बन्ध मे।**

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-41/कृषि निवेश दिनांक 09.10.2017 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कृमको की डीएपी,(18:46) की आपूर्ति व फुटकर बिक्री की दिनांक 15.09.2017 से 31.10.2017 तक प्रभावी दरे संसूचित की गयी थी। इस सम्बन्ध मे मुख्य राज्य प्रबन्धक-उ.प्र. कृमको लखनऊ ने अपने पत्रांक 6305 दिनांक 17.11.2017 द्वारा अवगत कराया है कि कृमको डी०ए०पी० उर्वरको के बिक्री की दर जो दिनांक 31.10.2017 तक प्रभावी थी, को दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ा दिया गया है। आपूर्ति एवं बिक्री दर की अवधि दिनांक 31.12.2017 तक विस्तारित कर दी गयी है।

अतः इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित परिपत्रांक सी-41 दिनांक 09.10.2017 द्वारा पूर्व मे संसूचित कृमको डी०ए०पी० उर्वरको की बिक्री दर की अवधि दिनांक 31.10.2017 के स्थान पर दिनांक 31.12.2017 तक संसूचित की जाती है।

  
(अनंद चौहान)

आयुक्त एवं निबन्धक  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।

परिपत्रांक :

/कृषि निवेश/बी-250(टी सी) दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य राज्य प्रबन्धक, कृमको,टीसी-28-वी,विभूति खण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

  
(रामप्रकाश)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ ।